सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 02/2017

1. काशीराम पुत्र श्री गणपतराम जाति जाट निवासी चक 16–17 एसडीएस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती विद्यादेवी पत्नी श्री काशीराम जाति जाट निवासी 16–17 एसडीएस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. मैनपाल पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी चक 16–17 एसडीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2. ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा सरपंच/सचिव तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व पट्टा सख्या 19 दिनांक 21.07.2014

उपस्थित : 1. श्री सुभाष मिढा, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री सुरेश कुमार अरोडा, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश **दिनांकः 11.01.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ''चक 16–17 एसडीएस की आबादी भूमि में प्लाट सख्या डी/4 निगरानीकर्ता को आवंटन शुदा प्लाट है जिसका (आधा–आधा) दिनांक 20.03.1984 को ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा आवंटित है जिन पर आवंटन से ही निगरानीकर्ता का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है और आज भी मौका पर निगरानीकर्ता के कब्जा में उक्त प्लाट है। निगरानीकर्ता को जारी शुदा प्लाट का पट्टा दिनांक 20.03.1984 में कभी भी किसी सक्षम अधिकारी या न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप या किसी तरीके के निरस्ती की कोई कार्यवाही नहीं चली अर्थात उपरोक्त आवंटन शुदा प्लाट संख्या डी/4 के पट्टे आज भी कानूनी रूप से पूर्ण प्रभावी एवं वैधानिक है। निगरानीकर्ता को आवंटित प्लाट संख्या डी/4 को जरिये आवासीय पट्टा संख्या 19 दिनांक 21.07.2014 (जिसमें विलेख को दिनांक 05.12.2013 को किया जाना वर्णित करते हुए) ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा निगरानीकर्ता को बिना कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये हुए अप्रार्थी संख्या 1 (गैरनिगरानीकर्ता) को गलत तौर पर आवंटित कर दिया गया है। जिसमें संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.03.2014 की अनुपालना की जानी वर्णित की है। ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा निगरानीकर्ता को बिना सुने उपरोक्त निगरानीकर्ता के प्लाट का किसी अन्य को पट्टा जारी किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जिसे निरस्त किया जाना कानूनन एवं इंसाफन है। निगरानीकर्ता का उपरोक्त वर्णित प्लाट संख्या डी/4 पर सदामत से ही कब्जा चला आ रहा है और कब्जा के आधार में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को कानूनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। उपरोक्त समस्त कार्यवाही का प्रार्थीगण को इल्म हुआ और चूंकि पट्टा निरस्त करने का अधिकार कानूनन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के आधार पर अदालतवाला को है। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा जारी गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 के हक में उपरोक्त वर्णित पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि चक 16–17 एसडीएस की आबादी भूमि में प्लाट सख्या डी/4 निगरानीकर्ता को आवंटन शुदा प्लाट है जिसका (आधा–आधा) दिनांक 20.03.1984 को ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा आवंटित है जिन पर आवंटन से ही निगरानीकर्ता का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है और आज भी मौका पर निगरानीकर्ता के कब्जा में उक्त प्लाट है। निगरानीकर्ता को जारी शुदा प्लाट का पट्टो दिनांक 20.03.1984 में कभी भी किसी सक्षम अधिकारी या न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप या किसी तरीके के निरस्ती की कोई कार्यवाही नहीं चली अर्थात उपरोक्त आवंटन शुदा प्लाट संख्या डी/4 के पट्टे आज भी कानूनी रूप से पूर्ण प्रभावी एवं वैधानिक है। ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा निगरानीकर्ता को बिना सुने उपरोक्त निगरानीकर्ता के प्लाट का किसी अन्य को पट्टा जारी किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है जिसे निरस्त किया जाना कानूनन एवं इंसाफन है। निगरानीकर्ता का उपरोक्त वर्णित प्लाट संख्या डी/4 पर सदामत से ही कब्जा चला आ रहा है और कब्जा के आधार में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को कानूनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता एवं गैर निगरानीकर्ता को जारी पट्टा की पुष्त पर अलग–अलग पैन से ओवर राईटिंग की गई व फलूड से मिटाया जाना कानूनन गलत है। अतः गैर निगरानीकर्ता को प्लाट संख्या डी/4 को जरिये आवासीय पट्टा संख्या 19 दिनांक 21.07.2014 को निरस्त किया जावे। निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा जारी गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 के हक में उपरोक्त वर्णित पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा आवंटित प्लाट संख्या डी/4 को जरिये आवासीय पट्टा सख्या 19 (मिसल नम्बर 24) दिनांक 21.07.2014 (जिसमें विलेख को दिनांक 05. 12.2013 को किया जाना वर्णित करते हुए) आवंटित किया गया वह सही है। उक्त प्लाट के सम्बन्ध में अदालत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के सिविल दरखास्त संख्या 20/2015 में कमीश्नर नियुक्त किया गया था जिसमें भी कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी (गैरनिगरानीकर्ता) का कब्जा होना बताया है जबकि निगरानीकर्ता गलत तथ्य बताकर खुद का कब्जा होना बतलाकर माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहा है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 21.07.2014 बहाल रखा जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरे पेश की है:–

1. आर.एल.डब्ल्यू 2010(4) पेज– 3575
2. डी.एन.जे. राज. 2013(1)पेज– 449
3. आर.एल.डब्ल्यू. 2012(2) पेज– 1091
4. डी.एन.जे. 2012(3) पेज– 1399

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के निगरानीधीन पट्टो का ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में अध्ययन किया। सर्वप्रथम निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत हस्तगस निगरानी में आक्षेपित ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 19 मिसल नम्बर 84 दिनांक 21.07.2014 नई आबादी किता नम्बर **डी–4** चक 16 व 17 एसडीएस की कार्यालय प्रति का अवलोकन किया जो ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.03.2014 की अनुपालना में जारी किया जाना अंकित है। ग्राम पंचायत का संकल्प संख्या 02 बैठक कार्यवाही रजिस्टर विवरण दिनांक 05.03.2014 (जो ग्राम पंचायत का बैठक मूल कार्यवाही रजिस्टर 2014–2015 पृष्ठ 11) को देखने पर स्पष्ट है कि इस पर सरपंच ग्राम पंचायत बुधरवाली की मोहर लगी है पर उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए इसकी वैद्यता प्रमाणित नहीं है। इस पट्टा सख्या 19 की कार्यालय प्रति से ज्ञात होता है कि यह पट्टा मेनपाल पुत्र देवीलाल (गैर निगरानीकर्ता संख्या–1) को जारी है। इसके पृष्ठ में इस भूखण्ड की माप हदूदों वार सहित दर्शाई गई है जिसमें **फलूडड लगाकर कांट छांट कर ओवर राईटिंग कांट छांट की गई है**। यह पट्टा जिन नियमों के तहत जारी किया है उनमें अनुमत क्षैत्रफल से भी अधिक क्षेत्र का (133+186+29+34 =382 वर्गगज) जारी कर दिया गया है। यह भी गैर कानूनी है। इसकी शर्त सख्या 1 को देखे तो यह स्पष्ट है कि आज भी इस पर कोई आवासीय निर्माण नहीं है। गैर निगरानीकर्ता वकील ने बहस के दौरान यह बताया कि उक्त विवादित प्लॉट पर अदालत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर के प्रकरण संख्या 20/2015 में कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार उसका कब्जा है। उक्त कमिश्नर रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तो पाया कि गैर निगरानीकर्ता मैनपाल पुत्र देवीलाल का ग्राम आबादी में पृथक से मार्क 17 पर रिहायशी मकान भी है। इस प्रकार यह **पट्टा पुराने गृहों के नियमितिकरण के प्रावधानो पर खरा नही उतरता।** ग्राम पंचायत बुधरवाली का सलंग्न पत्रावली प्रमाण–पत्र दिनांक 21.02.2017, जो सरपंच की मोहर व हस्ताक्षर से जारी है, से विवादित प्लाट संख्या **डी–4** का काशीराम व विद्यादेवी (निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2) का मौके पर कब्जा है जो आवंटन के समय से चला आ रहा है और मौका पर उनकी रूडी एवं लकडिया वगैरा पडी है। इससे साबित है कि मौके पर इस खाली प्लॉट पर कब्जे को लेकर भी विरोधाभासी स्थिति है। निगरानीकर्ता के प्रस्तुत पट्टो को दृष्टिगत रखते हुए मैनपाल पुत्र देवीलाल को पंचायत की आबादी भूमि के प्लॉट **डी–4** का दुबारा आवंटन कर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था जैसा कि प्रस्तुत नजीर में निर्देशन है। कुल मिलाकर गैर निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्लॉट संख्या **डी–4** का पट्टा दिनांक 21.07.2014 पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं तद्धीन बने नियमों के प्रावधानों एवं मार्गदर्शन सिद्वांतो के अनुसरण में समस्त प्रकियात्मक कार्यवाही पूर्ण की जाकर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जारी किया जाना नहीं पाया जाता है लिहाजा यह गैर कानूनी पट्टा सख्या 19 बहाल रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

बहस के दौरान गैर निगरानीकर्ता के विदवान अधिवक्ता ने निगरानीकर्तागण के पट्टो पर भी गंभीर अनियमितताओं को इंगित किया। सर्वप्रथम यह आक्षेप रहा है कि इन पट्टो को जारी करने के लिए भी तत्कालीन ग्राम पंचायत हाकमाबाद द्वारा भी कोई प्रकिया नहीं अपनाई गई। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ। उक्त पट्टो में प्लॉट संख्या अंकित ही नहीं की गई है जिसे जारी कर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो। पृष्ठ भाग पर जो विवरण अंकित है उसे प्रमाणित ही नहीं किया गया है लिहाजा इन पट्टों की विधि की दृष्टि में कोई वैधानिकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टों की प्रतियों के अवलोकन से यह आक्षेप सही है। उनका यह भी एतराज है कि ये पट्टे पुराने पंचायती राज अधिनियम के तहत जारी निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु जारी किये है परन्तु जिस मूल भावना और उदेश्य से जारी किये है उनकी पूर्ति नहीं हुई। आवंटित दोनो प्लॉटस पर आवास निर्माण नहीं किया गया जैसा कि पट्टों में वर्णित शर्त संख्या 8 से अनिवार्य किया गया। दोनो पट्टे एक ही परिवार पति काशीराम तथा उसकी पत्नी विद्यादेवी को जारी किये गए है जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघना है। पति–पत्नी एक ही ईकाई मानी जाती है और उन्हें नियमानुसार पृथक–पृथक दो निशुल्क पट्टे एक ही समय में जारी नहीं हो सकते। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रस्तुत नजीर संख्या 4 मामले में हूबहू चश्पा होती है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि एक ही परिवार के तीन सदस्यों को तीन पट्टे जारी किये– ग्राम पंचायत द्वारा भारी अवैधताएं कारित की गई।" ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया गया नक्शा नई आबादी चक नम्बर 16 व 17 एसडीएस तहसील सादुलशहर को भी देखा गया। इसमें A,B,C,D, VS & Shop के लिए भूखण्ड निर्दिष्ट किये गए है। इसमें डी से निर्दिष्ट प्लॉटस के अलावा सभी का आकार (Dimension) अंकित किया हुआ है। **डी–4** प्लॉट हेतु जारी दोनो पट्टो की दर्शित माप स्पष्ट नहीं कर पाती है कि वह **डी–4** की कुल माप के अनुरूप है। पट्टे के पृष्ठ पर अंकित हदूद उपलब्ध नक्शे के अनुरूप नहीं है। **डी–4** के उत्तर में डिग्गी दर्शाई गई है जबकि नक्शे में डिग्गी –इससे बहुत दूर आबादी के मध्य बी–39, बी–40, बी–35 व सी–9 से आबद्व होकर चौराहे पर है। इस प्रकार दोनो पट्टे नक्शे में दर्शित डी–4 की अवस्थिति से समर्थित नहीं है। इनकी वैद्यता एवं पात्रता नियमानुसार नहीं होने से उक्त दोनो पट्टे (बिना पट्टा नम्बर एवं हदूदों के सत्यापन) जो निगरानीकर्तागण काशीराम व उनकी पत्नी विद्यादेवी के नाम जारी किये गए है, भी विहित प्रकिया के बिना एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं ठहरते लिहाजा ये निरस्ती योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेखीय आलोक में कानूनी प्रावधानों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बुधरवाली तथा पूर्व की ग्राम पंचायत हाकमाबाद द्वारा निगरानी के तहत वर्णित/आक्षेपित निगरानीकर्तागण के साथ–साथ गैर निगरानीकर्ता नम्बर 01 को जारी पट्टे विहित प्रावधानों एवं प्रकिया / मार्गदर्शक सिद्वांतों की अवहेलना कर जारी किये गए है। इसलिए इन्हे बहाल रखा जाना विधि की दृष्टि में उचित नहीं है। अतः इन्हें खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत बुधरवाली को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वह उपलब्ध कराये नक्शे में दर्शित विवादित भूखण्ड **डी–4**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

का सही–सही माप कराके पंचायती राज नियमों के तहत नये सिरे से विधिवत निस्तारण करें। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 11.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/1/18

(नखतदान बारहठ)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।